न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 76/2019 G.C.M.S. No. 2019/00374 दर्ज दिनांक : 17.10.2019

अपीलार्थिगण:

1. हेमाराम पुत्र मोजाराम, उम्र 65 वर्ष
2. सायरीदेवी पत्नि हेमाराम, उम्र 62 वर्ष, जातिगण भाट, निवासीगण दानासनी, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत पुखाराम पुत्र मौजाराम, जाति भाट, निवासी दानासनी, तहसील रोहट व जिला पाली के उत्तराधिकारीगण:–
   1/1 महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुखाराम, उम्र बालिग
   1/2 नारायण पुत्र स्वर्गीय पुखाराम, उम्र बालिग
   1/3 रूकमादेवी पत्नि स्वर्गीय पुखाराम, उम्र बालिग, सभी जातिगण भाट, निवासीगण दानासनी, तहसील रोहट हाल ठिकाना– 1 बी 202, कुडी भगतासनी, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
2. भीकाराम पुत्र नारू, उम्र बालिग
3. पुकाराम पुत्र नारू, उम्र बालिग
4. हरीराम पुत्र नारू, उम्र बालिग
5. शंकर पुत्र बींजा, उम्र बालिग
6. रमेश पुत्र प्रताप, उम्र बालिग, सभी जातिगण भाट, निवासीगण दानासनी, तहसील रोहट, जिला पाली।
7. पपाराम पुत्र प्रताप, नाबालिग जरिये कुदरती वली मु. तुलसी बेवा प्रताप, जाति भाट, निवासी दानासनी, तहसील रोहट व जिला पाली।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2017 बअनवान पुखाराम के का.मु. महेन्द्र वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री उमेश सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2017 बअनवान पुखाराम के का.मु. महेन्द्र वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1/1, 1/2, 1/3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। चूंकि अधिन न्यायालय ने प्रार्थीगण के नाम कभी कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किये, प्रार्थीगण पर कभी कोई सम्मन नोटिस आदेश 5 सी.पी.सी. अनुसार तामिल नहीं हुए प्रार्थीगण को जवाब सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। प्रार्थीगण के पक्ष में विधि अनुसार निष्पादित वसीयत है और उस वसीयत के आधार पर जांच होकर प्रार्थीगण के पक्ष में म्युटेशन पारित किया गया था वाद प्रस्तुति से पहले, वाद प्रस्तुति के दिन अपीलाधीन डिक्री के समय और उसके पश्चात् आज दिन तक प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है और अप्रार्थीगण मृत पुखाराम के उत्तराधिकारीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा और आज भी नहीं है। अपीलाधीन डिक्री और प्राथमिक डिक्री की पालना में वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में जो अप्रार्थी मृत पुखाराम के वारिसान के नाम जो दर्ज हुई है उस आधार पर मृत पुखाराम के वारिसान वादग्रस्त भूमि को बेचाण, हस्तान्तरण करने पर, भारयुक्त करने पर, रहन रखने हेतु आमादा है और राजस्व रेकर्ड में जो उनका नाम दर्ज हुआ है उस आधार पर गलत व झूठे रूप से सरकारी योजनाओं में इस भूमि को अपनी भूमि होना बताकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि पर ऋण लेने पर आमादा है, वादग्रस्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने आमादा है और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर आमादा है। अधिन न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री सिर्फ इस आधार पर पारित की कि पत्रावली पर वादीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है उसके खण्डन में किसी तरह की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है जब अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया तो पत्रावली पर वादीगण की साक्ष्य के खण्डन में साक्ष्य होने जैसी कोई स्थिति और परिस्थितियां नहीं थीं। इसके साथ ही योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष यह तथ्य तो स्पष्ट रूप से आ चुका था कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार ने अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत की थी और उस वसीयत के आधार पर म्युटेशन पारित हुए थे और उस म्युटेशन के आधार पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुए थें इन परिस्थितियों में योग्य अधिन न्यायालय का यह दायित्व बनता था कि उस वसीयत के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से तथ्य राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार से तलब करवाते और उन्होने जिन आधारो पर म्युटेशन पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया वे संबंधित दस्तावेज उनसे तलब करवाते और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते जो नहीं किया गया। प्रार्थीगण ने एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 विरूद्ध अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं जो अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है वह माफ किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलाधीन डिक्री दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा एक अपील संख्या 27/2018 प्रस्तुत की गई थीं जो अपील इसी आदरणीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2019 को यह कहते हुए खारिज की थीं कि प्राथमिक डिक्री और अंतिम डिक्री की अपील एक साथ नहीं होती हैं और एक साथ की गई अपील पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में उक्त आदेश दिनांक 05.9.2019 को पारित होने के पश्चात् पुनः प्राथमिक डिक्री और अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.11.2017 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 10.10.2019 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पूर्व में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की एकसाथ अपील प्रस्तुत कर दी गई। जो अलग–अलग की जानी थीं। जो दिनांक 05.09.2019 को खारिज कर दी गई। प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जावें तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अपीलांट की लापरवाही से प्रकरण में विलंब नहीं हुआ है। साथ ही अधिवक्ता/विधिवेत्ता द्वारा विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत विधिक राय देने से प्रकरण में हुए विलंब के लिए प्रार्थी को जिम्मेदार नहीं माना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जा सकता। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 03.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया है। आदेशिका दिनांक 27.06.2017 के अंकन अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की उपस्थिति अंकित करते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प के दौरान उक्त पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किए जाने का अंकन किया गया है तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की तलबी हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.11.2017 को अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 27.06.2017 को वादीगण व अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा राजीनामा निष्पादित करने व राजीनामा के आधार पर बाद साक्ष्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कथित राजीनामा दिनांक 27.06.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कथित राजीनामा पर अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही उक्त कथित राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया एवं न ही उक्त कथित राजीनामा पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने समक्ष पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करने, हस्ताक्षरित करने व ऐसे पक्षकारान की पहचान करने तथा राजीनामा पढ़कर पक्षकारान को सुनाते हुए तस्दीक किए जाने का कोई अंकन नहीं हैं। उक्त राजीनामा पर सरपंच व उपसरपंच ग्राम पंचायत रोहट के हस्ताक्षर है। न्यायिक प्रकरणों के राजीनामा से निस्तारण के संबंध में यह आज्ञापक प्रावधान है कि ऐसा राजीनामा पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत व हस्ताक्षरित करें तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जावें। न्यायालय से इतर व्यक्तियों यथा पंच, सरपंच व उपसरपंच आदि को राजीनामा तस्दीक करने या प्रमाणित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं होता तथा ऐसे दस्तावेजात स्वीकार योग्य नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2017 बअनवान पुखाराम के का.मु. महेन्द्र वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner